

## पुलिस कर्मियों (सैफ सहित) को सहाय्य अनुदान

पुलिस बल के कल्याण एवं उनके मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार ने उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ में घायल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों (सैफ सहित) को सहाय्य अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत निम्नवत प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी:

जखम का प्रकार	स्वीकृत की जानेवाली राशि	सक्षम प्राधिकार
सामान्य जखम	50,000/- ₹0 तक	पुलिस महानिदेशक
गंभीर जखम/स्थाई जखम	1,00,000/- ₹0 तक	पुलिस महानिदेशक
गंभीर जखम/स्थाई जखम	1,00,000/- ₹0 से 3,00,000/- ₹0 तक	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके सदस्य - 1) गृह सचिव 2) अपर पुलिस महानिदेशक (मु0) 3) स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी 4) वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी

नोट : यह निर्देशिका मात्र सूचना हेतु है। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या - 4/पी1-10-09/2010 गृ0आ0 "7240" पटना दिनांक 01 सितम्बर 2010 का सन्दर्भ एवं मूल आधार लिया जाना उचित है।